संख्या: 1796(अ) /38–6–2007–129एल0सी0/2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–6 दिनांक 04 अक्टूबर, 2008

महोदय,

वर्ष 2002 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के चिन्हांकन के उपरान्त तैयार की गई सूची के सम्बन्ध में समय–समय पर आपत्तियॉ प्राप्त होती रही हैं। मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन नम्बर (सिविल) 196 of 2001 में दिनांक 14 फरवरी, 2006 को निम्नलिखित आदेश पारित किए हैं:–

"Provisions will be made to allow new names to be added and ineligible names deleted from the BPL list 2002 on a continuous basis during the period that the list will be applicable".

उक्त के कम में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी जिलाधिकारी अपने जनपदों में बी0पी0एल0 सूची 2002 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के विपरीत शामिल परिवारों का नाम खारिज करके उनके स्थान पर पात्र परिवारों को, भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा सम्बंधित जनपद के लिए पूर्व में निर्धारित बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या के अनुरूप, शामिल करना सुनिश्चित करें।

इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जितने अपात्र परिवारों को चिन्हित किया जाता है, यथासम्भव उतनी ही संख्या में, प्राथमिकता के आधार पर, उसी गॉव के पात्र परिवारों को 24 घण्टे के अन्दर सूची में शामिल करते हुए, अपात्र परिवारों के नाम निर्धारित प्रकिया द्वारा सूची से काटे जायें।

इस हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रत्येक 15 दिनों में इस कार्य की समीक्षा मण्डलायुक्त के साथ तब तक की जाएगी जब तक यह कार्य पूर्ण न हो जाय।

कृपया इन निर्देशों का पूर्ण गम्भीरता एवं कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

संख्याः 1796(अ) /38–6–2008–129एल0सी0 /2001

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन।

2– संयुक्त सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन नई दिल्ली।

3– आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।

4– आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश।

5– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

6– निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।

7– समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव

संख्याः 1796(ब) /38–6–2008–129एल0सी0 /2001

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

2– समस्त मण्डलीय उपायुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश।

3– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4– समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,उ0प्र0।

5– समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6– समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7– राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(आर0पी0सिंह)
अनु सचिव